

उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग-5
संख्या-2242/अडतीस-5-2013-50 सम/2008 टीसी-1
तखनका दिनांक 06 सितम्बर, 2013

कार्यालय-जाप

प्रदेश के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 14.08.2013 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के अशासकीय पत्र संख्या-2190/ अडतीस-5-2011-50सम/2008 टीसी-1, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के एजेण्डा विन्दु सं०-23 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सरटेनविलिटी मद के अन्तर्गत 14 जनपदों के अतिदोहित/ क्रिटिकल/ सेमीक्रिटिकल विकास खण्डों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा ₹० 10217.23 लाख की लागत से 278 चेकडैम बनाये जाने के प्रस्ताव) तथा एजेण्डा विन्दु सं०-27 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सरटेनविलिटी मद के अन्तर्गत 08 जनपदों के अतिदोहित/ क्रिटिकल/ सेमीक्रिटिकल विकास खण्डों में यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ₹० 5394.49 लाख की लागत से 96 चेकडैम बनाये जाने के प्रस्ताव) पर समिति द्वारा दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति के प्रतिबन्ध संख्या-1 निम्नवत् उद्धृत है :-

" मुख्य सचिव स्तर से निर्गत भूगर्भ जल विभाग के शासनादेश दिनांक 06 जून, 2012 के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कोर टीम द्वारा विभाग का प्रस्ताव अनुमोदित हो।"

" मुख्य सचिव स्तर से निर्गत भूगर्भ जल विभाग के शासनादेश दिनांक 06 जून, 2012 के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कोर टीम द्वारा यू०पी०पी०सी०एल० का प्रस्ताव अनुमोदित हो।"

2- अवगत कराना है कि मुख्य सचिव स्तर से लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या- 2181/62-1-2000-11 एक्यू/2000, दिनांक 02 दिसम्बर, 2004 द्वारा परियोजना/ प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी०सी०सी०) गठित है।

3- अतः इसके दृष्टिगत दिनांक 14.08.2013 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के अशासकीय पत्र संख्या- 2190/ अडतीस-5-2011-50सम/2008 टीसी-1, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के एजेण्डा विन्दु सं०-23 तथा एजेण्डा विन्दु सं०-27 के प्रस्तावों पर समिति द्वारा दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति के प्रतिबन्ध संख्या-1 को एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

" मुख्य सचिव स्तर से निर्गत लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2004 के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी०सी०सी०)/ भूगर्भ जल विभाग के शासनादेश दिनांक 06 जून, 2012 के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कोर टीम द्वारा विभाग का प्रस्ताव अनुमोदित हो।"

" मुख्य सचिव स्तर से निर्गत लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2004 के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी०सी०सी०)/ भूगर्भ जल विभाग के

शारानामिका दिनांक 06 जून, 2012 के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
गठित कार्य समिति द्वारा यू0पी0पी0सी0एल0 का प्रस्ताव अनुमोदित हो।
4- तदनुसार ग्राम्य विकास अनुभाग-5 का अशासकीय पत्र संख्या- 2190/
अडतीस-5-2011 50सग/2008 डीसी-1, दिनांक 27 अगस्त, 2013 इस सीमा तक संशोधित
संगडा जायेगा।

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2242(1)/ अडतीस-5-2013, तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. श्री दिनेश चंद, एडीशनल एडवाइजर, भारत सरकार, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली।
4. श्री के0वी0 विश्वास, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, जल भवन, अलीगढ़, लखनऊ।
5. श्री राजीव कुमार, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, अपर गंगा बेसिन संगठन, जहानवी सदन, 21/496 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
7. श्री प्रभात सिन्हा, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्री, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. श्री ए0के0 सित्तल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
9. श्री आई0डी0 पाण्डेय, महाप्रबन्धक जल संस्थान, बांदा।
10. श्री रतन लाल, महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी।
11. श्री पी0आर0 चौरसिया, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. श्री अमित मेहरोत्रा, परियोजना अधिकारी, यूनीसेफ, 1/4 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
13. निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
14. डा0 ए0के0 निगम, प्रोफेसर, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, झांसी।
15. प्रोफेसर एम0एम0 असह, अध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
16. डा0 देवेन्द्र मोहन, प्रोफेसर, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 वाराणसी।
17. प्रो0 ए0के0 सचान, प्रोफेसर एण्ड हेडण सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
18. डा0 गोविन्द पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर।
19. समस्त अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
सयुक्त सचिव।